193

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र.  /2017 निगरानी अ/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/3112

प्रदीप श्रीवास्तव अधि०
6-7-17

6.7.17

Shrivastav 6/7/2017
प्रदीप श्रीवास्तव

बालकिशन पुत्र श्री केदारीलाल अहिरवार
निवासी ग्राम गुना तहसील खरगापुर,
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

....... **आवेदक**

विरुद्ध

1. दयाराम पुत्र श्री केदारीलाल अहिरवार निवासी ग्राम गुना तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
2. बलीराम पुत्र श्री केदारीलाल अहिरवार निवासी ग्राम गुना तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
3. शीला बाई पुत्री श्री केदारीलाल अहिरवार निवासी ग्राम गुना तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
4. रतीबाई पुत्री श्री केदारीलाल अहिरवार निवासी ग्राम गुना तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

........ **अनावेदकगण**

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 29.06.17 जिसे अनुविभागीय अधिकारी बलदेवगढ़ जिला टीकमगढ़ ने अपने यहाँ के अपील क्रमांक 59/अपील/2016–17 में पारित किया।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/2112 बालकिशन विरूद्ध दयाराम

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 18-02-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 59/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 29-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।<br>2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।<br>(आर.के. जैन) 18/2/2019<br>सदस्य | |